case, No. RCI(A)/90-ACU(IV), a part report was submitted to the Government by the Central Bureau of Investigation (CBI). It has not been possible to complete the investigation mainly due to protracted litigation by some of the accused in Swiss courts against transfer of documents from Switzerland to India, and other legal steps taken by them.

फर्रुखाबाद में रसोई-गैस की आपूर्ति

*226. **प्रो॰ रामबक्ष सिंह वर्मा:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, विशेषकर फर्रुखाबाद में, लोगों को एल॰पी॰जी॰ एजेंसियों की कमी के कारण ईंधन हेतु भारी समस्या का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त जिलों में और नई एल॰पी॰जी॰ एजेंसियां स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) ये एजेंसियां कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री के॰ रामपूर्ति): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के जिलों में सूचीबद्ध उपभोक्ताओं को तेल कंपनियों द्वारा एल॰पी॰जी॰ की आपूर्ति में किसी विफलता की सूचना नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश में 680 एल॰पी॰जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिपें राज्य की एल॰पी॰जी॰ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रचालनरत हैं। इनमें से 4 फर्रुखाबाद जिले में हैं। एल॰पी॰जी॰ की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 1996-98 की एल॰पी॰जी॰ विपणन योजना में उत्तर प्रदेश के लिए 418 नई एल॰पी॰जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल कर ली गई हैं, जिनमें से 8 फर्रुखाबाद जिले के लिए हैं।

(ग) तेल कम्पनियों ने डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए अनेक स्थानों हेतु पहले से ही विज्ञापन दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए 10 डीलर चयन बोर्डों का गठन कर लिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन की प्रक्रिया जारी है। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का वास्तविक रूप से आरम्भ विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है जैसे विज्ञापित स्थानों की संख्या, डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए डीलर चयन बोर्डों द्वारा आयोजित साक्षात्कार, भूमि प्राप्त करना, उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करना और डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा गोदाम का निर्माण आदि। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आरम्भ होने में आमतौर पर लगभग 6—12 महीने का समय लगता है।

सारा वर्ष बहने वाली नदियों के जल का उपयोग

*227. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सारा वर्ष बहने वाली नदियों के जल को घरेलू सिंचाई और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन नदियों के जल का उपर्युक्त प्रयोजनों हेतु प्रतिवर्ष कितनी-कितनी मात्रा में उपयोग किए जाने का अनुमान है;

(ग) जल की कितनी मात्रा उपयोग में लाए बिना समुद्र में बह जाती है;

(घ) क्या सरकार ने बिना उपयोग किए समुद्र में बह जाने वाले जल को उपयोग में लाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें से जल की कितनी मात्रा का उपयोग हो सकने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ङ) नदियों में औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर उपलब्ध है। स्थलाकृतिक, जल वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण उपयोज्य जल संसाधन 1122 बिलियन क्यूबिक मीटर आंका गया है जिसमें सतही जल से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर और लगभग 432 बिलियन क्यूबिक मीटर वार्षिक पुनर्भरण भूजल संसाधनों से है। स्थलाकृतिक और पर्यावरणीय बाधाओं, वाष्पीकरण और वनस्पति हानियों तथा नदी व्यवस्था (रेजीम) को बनाए रखने के लिए नदी में जल की कुछ मात्रा प्रवाहित होने देने के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं है।